राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2019/206

दिनांक :- 3/12/19

सचिव,
प्रबंध समिति,
निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः– सत्र 2018–19 एवं 2019–20 के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लंबित प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2018–19 एवं 2019–20 में जिन निजी महाविद्यालयों को कमीपूर्ति मापदण्ड पूर्ण नहीं करने के कारण अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, उन महाविद्यालयों को समय–समय पर कमीपूर्ति के अवसर दिये गए थे। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कमीपूर्ति/ नियमानुसार शास्ति जमा करवाने का अंतिम अवसर संस्था को अग्रानुसार प्रदान किया जाता है–

क्र.सं	प्रकरण विषय	दिनांक
1	सत्र 2018–19 के टीएनओसी अभिवृद्धि/पीएनओसी हेतु कमीपूर्ति/शास्ति जमा करवाने की अन्तिम तिथि	31.12.2019
2	सत्र 2019–20 के टीएनओसी अभिवृद्धि/पीएनओसी हेतु कमीपूर्ति/शास्ति जमा करवाने की अन्तिम तिथि	31.01.2020

उक्त महाविद्यालय कमीपूर्ति हेतु समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित करवाकर ही आयुक्तालय में प्रस्तुत करें।

उक्त तिथि पश्चात् आदेश की पालना नही करने वाले महाविद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2020–21 से क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जावेगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपकी तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों द्वारा, सत्र 2018–19 व 2019–20 के लंबित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, उन्हे प्रमाणित कर आयुक्तालय प्रेषित करें।
2. वेबसाईट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(डॉ अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक,(नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर